# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 38/2021

श्री गोविन्द व्यास वरिष्ट काग्रेंस कार्यकर्ता निवासी मु. पो. दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली

--प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 27-12-2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 3-9-2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। प्रार्थना पत्र में अंकित सूचना लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलक्ट्रेट टोंक से सम्बन्धित होने से आवेदक का प्रार्थना पत्र, पत्र कमांक 735 दिनांक 8-9-2021 से अन्तरित कर दिया गया। प्रकरण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली से सम्बन्धित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलक्ट्रेट टोंक ने आवेदक का प्रार्थना पत्र, पत्र कमांक 2598 दिनांक 13-9-2021 से उपखण्ड अधिकारी देवली को चाही गई निम्न सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जो इस प्रकार थीः-

कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक कमांक : विकास/2021/1093 दिनांक 16.03.2021 धनी आबादी क्षेत्र राज्यमार्ग 34बी, CHC दूनी दीवार आम सडक पर कियें अतिकमण हटवानें बाबत्।

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली को लिखे पत्र उक्त सम्बंध में अविलम्ब जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करना सुनिश्चित करनें हेतु पत्र लिखा उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर को भेजी गई कार्यवाही जांच प्रतिवेदन की सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट की जानकरी उपलब्ध करायी जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। [illegible] प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देव[illegible] कमांक 1427 दिनांक 23-11-2021 को प्रेषित कर रिपो[illegible] नहीं होने पर पुनः पत्र कमांक 1492 दिनांक 17-12-2021 से स्मरण प[illegible]खा गया। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप[illegible] उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधि[illegible] एंव उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा आदिनांक तक [illegible]लार्थी को सूचना उप[illegible] कराने के संबंध में कोई जवाब नही भिजवाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला–टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:59:47 IST
Reason: SelfAttested